



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 04 जनवरी, 2006 ई0

पौष 14, 1927 शक सम्बत्

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या 07/XXVII(9)/स्टाम्प/2005

देहरादून, 04 जनवरी, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके मैसर्स एल्पस इन्डस्ट्रीज के पक्ष में काशीपुर कताई मिल को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से "लीज एग्रीमेंट" को रजिस्टर्ड कराये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) तक निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव।